संख्या 25011/11/82-अ0भा0से0(11)
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग
नई दिल्ली, दिनांक 19-1-1984

सेवा में,

(1) सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव ।
(2) राज्यों के महालेखाकार ।

विषय:- अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएं) नियमावली, 1958- नियम 2(1)- सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं के उद्देश्य से 31-1-1982 से वेतन के साथ अतिरिक्त महंगाई भत्ते के एक भाग का विलय किए जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे इस विभाग के दिनांक 10 मई, 1983 के इसी संख्या के पत्र के संदर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि इस विभाग के ध्यान में यह बात लाई गई है कि ऊपर उल्लिखित इस विभाग के परिपत्र के देरी से मिलने के कारण कुछ राज्य सरकारों के अधिकारी निर्धारित तारीख से पहले अपने विकल्प नहीं दे पाए हैं । अत: अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों से ऐसे विकल्प प्राप्त करने की तारीख को इस विभाग के दिनांक 10 मई, 1983 के पत्र द्वारा पहले निर्धारित की गई तारीख से बढ़ाकर 31 मार्च 1984 तक करने का निर्णय किया गया है । कृपया इस आशय की सूचना तथा मार्गनिर्देशनों को सभी संबंधित अधिकारियों की जानकारी में लाया जाए ।

भवदीया,
(श्रीमती अलका काला)
उप सचिव, भारत सरकार

संख्या 25011/11/82-अ0भा0से0-11 दिनांक 19-1-1984

प्रतिलिपि सूचनार्थ निम्नलिखित को प्रेषित :-

1- भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2- गृह मंत्रालय (आई0पी0एस0 अनुभाग) ।
3- गृह मंत्रालय (यू0टी0एस0 अनुभाग) ।
4- कृषि विभाग (आई0एफ0एस0 अनुभाग) ।
5- सभी संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव/प्रशासक ।
6- वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग-ई0-4 ब्रांच)

(श्रीमती अलका काला)
उप सचिव, भारत सरकार